खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) योजना मंत्रालय का केन्द्रीय सांख्यकी संगठन हर साल उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। लेकिन निष्कर्षों के प्रकाशन में लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 27255 फैक्ट्रियां हैं। यूनिटों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा विवरण पर दिया गया है **(नीचे देखिए)**।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता वाला घोषित करना और उसके फलस्वरूप उन्हें लाइसेंसमुक्त करना, मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता देना, राजकोषीय रियायतें देना भी शामिल है। अधिकांश राज्य सरकारों ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नोडल एजेंसियों को नामित किया है। राज्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में बिक्री कर रियायत, निवेश सब्सिडी आदि शामिल है।

विवरण

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या

राज्य	फैक्टिरयों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	8119
असम	662
बिहार	451
गोआ	36
गुजरात	1209
हरियाणा	667
हिमाचल प्रदेश	42
जम्मू एवं कश्मीर	68
कर्नाटक	1308
केरल	966
मध्य प्रदेश	1283
महाराष्ट्र	2456
मणिपुर	4
मेघालय	3
नागालैंड	10
उड़ीसा	402
पंजाब	1183
राजस्थान	482
तमिलनाडु	3896
त्रिपुरा	32
उत्तर प्रदेश	2697
पश्चिम बंगाल	1032
अंडमान एवं निकोबार	—
चण्डीगढ़	32
दादर एवं हवेली	—
दमन एवं द्वीव	3
दिल्ली	173
पाण्डिचेरी	31
अन्य	8
कुल:	27,255

Self employment through agro-based food processing industries

1950. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether any concrete efforts are being made by Government to provide facilities to the rural youths for self-employment through setting up of food processing industries;

(b) if so, whether Government are promoting the food processing industries based on agricultural products like foodgrains, pulses, fruits, flowers, vegetables, oil-seeds, etc.

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government propose to restrict the entry of multinational companies and big industrial houses in the food processing industries based on agricultural products; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) to (c) Yes, Sir. Ministry of Food Processing Industries operates a number of developmental plan schemes

for promotion of Food Processing Industries. One of the schemes envisages financial assistance for setting up FPTC in rural areas. The scheme envisages entrepreneurship development and transfer of technology for rural processing of agricultural raw materials into food products, wherein "hand on" experience is provided to the trainees for operating and managing a small unit.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Loss of fruits and vegetables in Punjab and Uttar Pradesh

1951. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details regarding loss of fruits and vegetables every year due to non-availability of food processing industries in Punjab and Uttar Pradesh; and

(b) the steps being taken by Government in the regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Although no survey has been conducted to assess the loss of fruits & vegetables in Punjab & Uttar Pradesh, it is estimated that quality deterioration of loss in value that takes place is about 25 to 30% in some fruits and vegetables due to inadequacy of post harvest infrastracture and perishability of the produce. However, since substantial quantities of fruits and vegetables are utilised in house-hold and unorganised sector for preservation etc., the net unutilised quantity may not exceed 5%.

(b) The Government provides financial assistance to create facilities for pre-cooling and processing etc. which has been found useful in reduction of post harvest losses.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति में परिवर्तन

1952. **श्री राम जेठमलानी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी 1991 की नीति में व्यापक परिवर्तन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब से लागू किया जाएगा;

(ग) क्या नए परिवर्तनों के माध्यम से नए परमिट जारी किए जाने पर रोक लगाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय कितनी फर्में कार्यरत हैं और उनमें से प्रत्येक का कार्यकाल कब खत्म होने जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलिप राय): (क) और (ख) गहन समुद्री मत्स्यन नीति-1991 को रद्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के तहत कोई नई मंजूरियां जारी नहीं की जा रही हैं। 106 जलयानों के आशयपत्र वैध हैं, जिनमें से 95 जलयानों के प्रचालन हेतु अनुमतिपत्र/परमिट जारी किए गए हैं। संयुक्त उद्यम के तहत 49 जलयानों के प्रचालन हेतु अनुमति पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से इस समय 21 जलयान चल रहे हैं। ये अनुमतिपत्र जलयानों के कार्यकाल तक वैध हैं। लीजिंग के तहत 46 जलयानों के प्रचालन हेतु परमिट जारी किए गए हैं, जिनमें से इस समय 10 चल रहे हैं। इनमें से अंतिम परमिट की अवधि वर्ष 2000 में समाप्त हो जाएगी।

1952 Accord between J&K and the Central Government

1953. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of clauses of the 1952 Accord between Jammu and Kashmir and the Central Government, which were superceded by the 1975 Accord;

(b) what are the details of changes the Government of J&K is aiming at; and